रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-18032021-225976 CG-DL-E-18032021-225976

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1152] No. 1152] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 18, 2021/फाल्गुन 27, 1942

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 18, 2021/PHALGUNA 27, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय, सिटी सीमाशुल्क आयुक्तालय)

अधिसूचना

बेंगलूर, 11 मार्च, 2021

सं 01/2021(एन.टी)

का.आ.1243 (अ).—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 के 52) की धारा 8 की उपधारा (क) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, मैं बसवराज नलेगावे, आयुक्त सीमा शुल्क बेंगलूर नगर, एतदद्वारा, दिनांक 31.8.2012 की अधिसूचना सं 02/2012 के साथ पठित दिनांक 26.11.2019 की अधिसूचना सं 01/2019 (एन.टी) द्वारा निर्यातीत वस्तुओं के पोतभरण और उतराई के लिए अधिसूचित मेसर्स मेरीगोल्ड लाजिस्टिक्स प्राईवेट लिमिटेड के कंटाईनर फ्राईट स्टेशन के सीमा शुल्क क्षेत्र को निम्न प्रकार बदलता/संशोधन करता हूँ।

परिक्षेत्र का विवरण

कनेकल्लू गाँव, जडिगेनहल्ली होबली, होसकोटे तालुक, बेंगलूरु 560067 में स्थित जमीन सर्वे सं 17/1,17/2, 18/2, 15/1, 15/2ए,15/3,15/4, 13/2,11/1,11/2, एवं 12 के एक भाग 11/4 में स्थित 12 एकड़ 15 गुंटा जमीन एवं भवन।

2. आगे सीमा शुल्क अधि नियम 1962 की धारा 8 के उप धारा (ख) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए मैं एतदद्वारा उक्त सीमा शुल्क क्षेत्र की सीमाओं को भी विशिष्टित करता हूँ।

(1)

पूरब सीमा/बिटिमुनस रोड पश्चिम सीमा/सर्वे सं 12 निजी संपत्ती उत्तर सीमा/होसकोटै देवनगुन्डी रोड दक्षिण सीमा/आईओसी

3. यह अधिसूचना 11 मार्च 2021 से लागू होगा।

[फा. सं. GEN/TECH/csdn/22/2020]

बसवराज नलेगावे, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS, CITY CUSTOMS COMMISSIONERATE)

NOTIFICATION

Bengaluru, the 11th March, 2021

No. 01/2021 (N.T)

S.O. 1243(E).—In exercise of the powers conferred under sub-section(a) of Section 8 of Customs Act, 1962 (52 of 1962), I, Baswaraj Nalegave, Commissioner of Customs, Bengaluru City, hereby modify / amend the 'Customs Area' of Container Freight Station of M/s Marigold Logistics Pvt. Ltd., notified under Notification No.01/2019(N.T.) dated 26.11.2019 read with Notification No.02/2012 (N.T.) dated 31.08.2012, for the purpose of loading of export goods and unloading of imported good as below:

Description of the Premises:-

All the land and building on the piece of land at SY No.17/1, 17/2, 18/2, 15/1, 15/2A, 15/3, 15/4, 13/2, 11/1, 11/2 & 11/4 Portion of 12, Kanekallu Village, Jadigenahalli Hobli, Hoskete Taluk, Bengaluru – 560067, measuring 12 Acres 15 Guntas.

2. Further, in exercise of the powers conferred under sub-section (b) of section 8 of Customs Act, 1962, I hereby also specify the limits of the said Customs Area as under: -

Eastern Side: Bituminous Road

Western Side : Survey No. 12 Private Property Northern Side : Hoskote Devanagundi Road

Southern Side: IOC

3. This Notification will take effective from 11th March 2021.

[F. No.GEN/TECH/csdn/22/2020]

BASWARAJ NALEGAVE, Commissioner